न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत, R.A.S.

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या :- 7/2023

प्रार्थीगणः-

1. भैराराम पुत्र स्व. अनाराम
2. सुखडी पत्नी स्व. अनाराम जातियान लौहार, निवासीगण ग्राम भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण

1. विमला पत्नी तेजाराम जाति जाट निवासी ग्राम भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. शारदा पत्नी भोजराज जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ग्राम भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
3. केली पुत्री स्व. अनाराम पत्नी घेवरराम जाति लौहार निवासी देवासियों की ढाणी भोपालगढ तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर
4. छोटी पुत्री स्व. अनाराम पत्नी श्यामाराम जाति लौहार निवासी ग्राम कागल, तहसील भोपालगढ जिला जोधपुर
5. भूरी पुत्री स्व. अनाराम पत्नी प्याराराम जाति लौहार निवासी लौहारों की बास ग्राम बिंजवाडिया तहसील बिलाडा जिला जोधपुर राज.
6. शाखा प्रबन्धक यूको बैंक शाखा भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थित :- प्रार्थीगण - श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।
अप्रार्थी सं.- 1 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
अप्रार्थी सं. 7 - सरकारी पैरोकार।

<u>निर्णय</u> दिनांक :- 21/04/26

संक्षेप में सक्षेप मे मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1985 रकबा 1.3510 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय आयी हुयी है जो प्रार्थीगण व अपार्थी संख्या 3 से 5 की सयुक्त खातेदारीसुद्धा व सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है। जिसके खाता संख्या 800 है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित संयुक्त खातेदारी भूमि के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारीसुदा संख्या 1989/2 रकबा 1.1326 हैक्टेयर आयी हुयी है जिसके खाता संख्या 1083 है तथा खसरा संख्या 1989/2 के पूर्व दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारीसुदा व कब्जाकाश्तसुदा भूमि खसरा संख्या 1989 रकबा 1.5695 हैक्टेयर आयी हुयी है, जिसके खाता संख्या 549 है, तथा खसरा संख्या 1989 के पूर्व दिशा में खसरा संख्या 1940 रकबा 5.0563 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता ग्राम भावी जे. बी. आया हुआ है तथा खसरा संख्या 1940 गै.मु. रास्ता की भूमि ग्राम पंचायत भावी के नाम दर्ज है। उक्त रास्ता ग्राम भावी से ग्राम भावी जाटाबास की सरहद/काकड़ में जाता है। प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी संख्या 3 से 5 व अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के द्वारा आपसी सहमति से खसरा संख्या 1989/2 व खसरा संख्या

1989 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे खसरा संख्या 1989/2 व खसरा संख्या 1989 की भूमि में से लगभग 30 फुट चौड़ा रास्ता प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1985 में आने-जाने हेतु कायम किया तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 द्वारा खसरा संख्या 1989/2 व 1989 की दक्षिणी माठ के सहारे-सहारे कायम किये गये रास्ते को ही प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1985 में आने-जाने हेतु उपयोग करते आ रहे है। उक्त कायम किये गये रास्ते को प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में मार्क ए.बी.सी.डी. से दर्शित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1989/2 व 1989 के पर्ची दिशा में खसरा संख्या 1940 रकबा 5.0563 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता आया हुआ है तथा खसरा संख्या 1940 गै.मु. रास्ता की भूमि ग्राम पंचायत भावी के नाम दर्ज है। उक्त रास्ता ग्राम भावी से ग्राम भावी जाटाबास की सरहद ६ काकड़ में जाता है। उक्त गै.मु. रास्ता से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित उनकी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1985 में काश्त कार्य हेतु आने-जाने हेतु व कृषि से सम्बंधित समस्त साधन लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1989/2 व 1989 की दक्षिणी माठ पर स्थित रास्ता मार्क ए.बी. सी.डी. का उपयोग करते है, तथा उक्त मार्कसुदा रास्ता ही प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1985 में आने जाने हेतु एकमात्र वैकल्पिक व सबसे निकटतम रास्ता है, इसके अलावा ओर कोई वैकल्पिक व निकटतम रास्ता मौके पर नही है तथा उक्त मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता पर कोई कच्चा या पक्का निर्माण नही है। भूमि खसरा संख्या 1989/2 व 1989 के मार्क ए.बी.सी. डी. भाग पर निकलने वाला रास्ता जो कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार भूमि खसरा संख्या 1985 में पहुंचता है, जिसमें किसी भी प्रकार की दखल व अवरोध करने का अप्रार्थी संख्या 1 से 2 को कोई अधिकार नही है। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 से 2 ने खसरा संख्या 1989/2 व 1989 में स्थित उक्त रास्ते की भूमि को आज से 10-12 दिन पूर्व ट्रेक्टर से खड़ाई कर उक्त मार्कसुदा रास्ते को खुर्द बुर्द कर दिया व तारबन्दी कर बंद कर दिया, जिसके कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 को अपनी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1985 में आने-जाने हेतु काफी समस्याओं व परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 को अपनी प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1985 में काश्त कार्य करने से भी वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 का जीवनयापन का एकमात्र साधन कृषि ही है। काश्त कार्य से वंचित होने के कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 का जीवन निर्वाह करना भी मुश्किल हो गया है। जिसकी वजह से प्रार्थीगण

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी

व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 को अपूर्णनीय हानि हो रही है, जिसकी पूर्ति किया जाना संभव नही है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 का खसरा संख्या 1989/2 व 1989 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ता आत्यंतिक आवश्यकता का मार्ग है। इस कारण प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 को अप्रार्थी संख्या 1 से 2 के विरूद्ध खसरा संख्या 1989/2 व 1989 में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. वांछित रास्ता को राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता दर्ज करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा को प्रार्थना पत्र का अंगसुमार कर पढा जावे। अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि खसरा संख्या 1989/2 सम्पूर्ण अप्रार्थी संख्या 6 के यहा रहन होने से अप्रार्थी संख्या 6 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 6 के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नही चाहा है। अप्रार्थी संख्या 3 से 5 खसरा संख्या 1985 की प्रार्थीगण के साथ सहखातेदार है तथा प्रार्थीगण की बहने/पुत्रीयों है, जो शादीशुदा है तथा अधिकांश समय अपने ससुराल में ही रहती है इसलिए स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश करने में असमर्थ होने से उन्हे प्रार्थीगण के रूप में पक्षकार नहीं बनाया गया है परन्तु अप्रार्थी संख्या 3 से 5 खसरा संख्या 1985 की रेकर्डेड सहखातेदार होने से तथा आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है तथा उनके विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष प्रार्थीगण द्वारा नही चाहा है तथा उनको वांछित रास्ता के सम्बंध में कोई आपति नही है। प्रार्थीगण अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1989/2 रकबा 1.1326 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1989 रकबा 1.5695 हैक्टेयर में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. 30 फुट रास्ते की नियमानुसार मुआवजा फीस देने को तैयार है। विवादग्रस्त रास्ते की भूमि मार्क ए.बी.सी.डी. खसरा संख्या 1989/2 रकबा 1.1326 हैक्टेयर व खसरा संख्या 1989 रकबा 1.5695 हैक्टेयर का भाग है, जो राजस्व ग्राम भावी सीरवीबास तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को यह प्रार्थना पत्र सुनने का क्षेत्राधिकार है।

अन्त में निवेदन है कि राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा में स्थित प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित सयुक्त खातेदारी व सयुक्त कब्जा काश्त की भूमि खसरा संख्या 1985 रकबा 1.3510 हैक्टेयर में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 को काश्त कार्य करने के लिए आने-जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1989/2 रकबा 1.1326 हैक्टेयर, अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1989 रकबा 1.5695 हैक्टेयर के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग से होकर रास्ता निकलता है जो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित सयुक्त खातेदारी भूमि में पहुंचता है, जिसको प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 हर प्रकार से खेत की बुवाई व अन्य काश्त कार्य के रूप में उपयोग में लेते है। जिसे राजस्व रेकर्ड में राजकीय रास्ता घोषित किया जावे तथा राजकीय रास्ता का नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 7

तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। राजस्व ग्राम भावी जाटाबास तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1989/2 रकबा 1.1326 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1989 रकबा 1.5695 हैक्टेयर में स्थित मार्क ए.बी.सी.डी. रास्ते को राजस्व रेकर्ड नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से तरमीम करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 7 तहसीलदार बिलाड़ा को फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 1 से 2 को पाबन्द किया जावे कि वो प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 3 से 5 की प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णितानुसार सयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1985 में आने-जाने हेतु खसरा संख्या 1989/2 रकबा 1.1326 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1989 रकबा 1.5695 हैक्टेयर के मार्क ए.बी.सी.डी. भाग वाले आम रास्ते पर किसी भी प्रकार की बाधा या अवरोध स्वयं पैदा कर व न ही अपने एजेन्ट या नौकरों से करावें।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आशय के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण सं. 1 से 6 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी अप्रार्थी सं. 1 से 6 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने के कारण अप्रार्थी सं. 1 से 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी गयी। अप्रार्थी सं. 7 तहसीलदार बिलाडा ने विवादित भूमि की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट मय फर्द मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस की प्रति, संबधित खसरो की जमाबन्दी एवं गिरदावरी की प्रमाणित प्रति इस न्यायालय में पेश की, जिसके अनुसार प्रार्थी के ग्राम भावी जेबी के खेत खसरा सं. 1985 रकबा 1.3510 किस्म बारानी द्वितीय में आने जाने हेतु वर्तमान में मौके व राजस्व रेकर्ड अनुसार कोई रास्ता नहीं होना पाया गया। प्रार्थी वर्तमान में अपने खेत में आने जाने हेतु पडौस के खेतों से आवागमन करता है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता निकटतम है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता की भूमि किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण नहीं है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता की भूमि क्षेत्रफल खसरा सं. 1989/2 रकबा 1.1326 हैक्टयर में से 0.0295 हैक्टयर व खसरा सं. 1989 रकबा 1.5695 हैक्टयर में से 0.0407 हैक्टयर भूमि रास्ते में जावेगी। उक्त भूमि सिंचित व डामर सडक से लगती हुई है। प्रार्थी द्वारा वांछित रास्ता की भूमि का रकबा व डीएलसी दर अनुसार राशि निम्नप्रकार है।

क्रस	खातेदार का नाम व पता	खसरा नम्बर	रकबा हेक्टयर में	डी.एल.सी. दर प्रति हैक्ट	डी.एल.सी.दर की दो गुणा राशि
1.	विमला पत्नी तेजाराम जाट	1989/2	0.0295	310000	18290
2.	शारदा पत्नी भोजराज कुम्हार	1989	0.0407	310000.	25234

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

उपरोक्त प्रपत्र में दर्शाये अनुसार खसरा नम्बर 1989 व 1989/2 में से रास्ता दिया जाना प्रस्तावित है, जिसे नक्शा नकल में प्रस्तावित रास्ता दर्शाया जाकर संलग्न किया गया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी और योग्य अधिवक्ता प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया और कथन किया कि प्रार्थी को अपने खेत में कृषि

कार्य करने हेतु रास्ता दिलवाया जावे। मौका रिपोर्ट दिनांक 25.04.2025 के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी को दिलवाया जावे ताकि प्रार्थी अपने खेत में पहुचकर खेती कर सके। प्रार्थी उक्त रास्ते की मुआवजा की राशि अप्रार्थी संख्या 1 से 5 को अदा करने को तैयार है। सरकारी पैरोकार की बहस पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि ग्राम भावी जेबी तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1985 में प्रार्थी को काश्तकार्य करने हेतु खसरा नम्बर 1989, 1989/2 के मार्क भाग से होकर ही रास्ता चलता है, जो खसरा नम्बर 1985 में पहुचता है इस कारण प्रार्थीगण को अपने खेत में कृषि कार्य करने हेतु रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता है, इसलिए रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। भू अभिलेख निरीक्षक भावी के द्वारा मौका फर्द जॉच रिपोर्ट दिनांक 25.04.2025 एवं उसके साथ पेश किया गया संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये प्रस्तावित रास्ता को सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है एवं उक्त रास्ते की प्रार्थीगण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 को डी.एल.सी. की दर से दुगुनी राशि जरिये चैक से अदा कर इस न्यायालय में प्रति पेश करे। अप्रार्थी संख्या 1 से 5 द्वारा राशि जरिये चैक प्राप्त नही किये जाने की दशा में प्रार्थी तहसीलदार बिलाड़ा के समक्ष जरिये चालान राशि राजकोष में जमा करावे। भू अभिलेख निरीक्षक एवं हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 25.04.2025 को इस आदेश का अभिन्न अंग समझा जावे। तहसीलदार बिलाड़ा आदेश माफिक राजस्व रेकर्ड में रास्ते की भूमि का नामान्तरकरण स्वीकृत कर नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एंव मौके पर रास्ता खोलने की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट मय मौका फर्द व नजरी नक्शा (मय तरमीम) के साथ पेश करे। निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बिलाड़ा को पालना हेतु मय तहरीर के भेजी जाकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/05/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा